



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-21

New Delhi: 25.01.2021

श्री सरवर

पुत्र श्री इकबाल

ग्राम मामन कलां, पोस्ट-धमरावली

थाना-कोतवाली देहात, तहसील-सदर

जिला-बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203001

मोबाइल-8810473775

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 04.01.2020 जो इस कार्यालय में दिनांक 11.01.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;


सुश्री आर० पी० छिबबर

समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,

5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,

प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ


21.01.2021

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707

डिप्टी जी०एम० / एडमिन(पी०आई०ओ०),
कॉरपोरेट ऑफिस, डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली।


विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- (i) एच०क्यू० पत्रांक-2021/HQ/ADMIN/RTI-21/ दिनांक 11.01.2021

(ii) आवेदनकर्ता श्री सरवर पुत्र श्री इकबाल का प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2021
(डी०एफ०सी० कार्यालय मेरठ में प्राप्ति दिनांक 11.01.2021)

संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत
मांगी गयी सूचना का क्रमवार विवरण निम्नवत् है-

- 1) मांगी गयी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
- 2) ग्राम मामनकला में फाटक सं०-10 पर आर०यू०बी० का निर्माण कार्य दिनांक 11.11.2020 को
आरम्भ कराया गया, जिससे पूर्व ही दिनांक 05.11.2020 को तहसील टीम के साथ संयुक्त
रूप से संबंधित ग्रामवासियों को बैठक के माध्यम से आर०यू०बी० के निर्माण कार्य शुरू किये
जाने की सूचना दी गयी थी।
- 3) अण्डरपास की लम्बाई स्थलीय स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जबकि इसकी
चौड़ाई कम से कम 4.0 मी० अथवा इससे कम जिस पर जिला प्रशासन सहमत हो, रखी
जाती है।
- 4) अण्डरपास की साईड से नियमानुसार सर्विस रोड का कोई प्राविधान नहीं है।
- 5) मांगी गयी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
- 6) वर्तमान में फाटक सं०-10 पर भूमि अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है।


(महावीर सिंह)

उप जन-सूचना अधिकारी/
उप परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०, मेरठ।